न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :**प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 160/2022 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 15.06.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/160

श्री शान्तिलाल पिता मांगीलाल जाति गाडरी उम्र 29 वर्ष निवासी घाटी तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

–प्रार्थी

बनाम

1–राजेश सुखवाल पिता रतनलाल जाति ब्राहम्ण आयु 19 वर्ष निवासी पोटला कलां तहसील भदेसर जिला चित्तौगढ (राज0)

2–श्रीमान् भूमिधारी (तहसीलदार साहब) तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या कमांक/राजस्व/आवंटनआदेश/2021–22/25 दिनांक 25.10.2021

उपस्थिति :– 1– श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता वि. सं. 1व 2

:: निर्णय ::

दिनांक 16.04.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजथान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि योग्य अधीनस्थ न्याायलय भू आवंटन सलाहकार समिति श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी भदेसर द्वारा विपक्षीगण को अतिक्रमी मानते हुए मौजा घाटी के खसरा नम्बर–89 रकबा–0.36 है0 भूमि को अवैधानिक रूप से आवन्टन की दी है। इस कारण उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र निम्न आधारों पर पेश है। यह कि उपरोक्त विपक्षीगण को भू आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है। विपक्षीगण भूमिहीन सद्भाविक काश्तकार नही है। उपरोक्त भूमि आवंटित की गई है उस पर विगत कई वर्षो से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रर्थी ही उपरोक्त भूमि पर काश्त कर रहा है परन्तु विपक्षीगण द्वारा उनुचित प्रभाव डालकर तथा अनुचित प्रलोभन व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भ्रष्टाचार के जरिये उपरोक्त आरजीयात अपने नाम आवंटित करा ली है जबकि विपक्षीगण का कभी कोई कब्जा नही रहा है। यह कि प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा रहा इसके संबबंध में धारा-91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार भदेसर द्वारा की गई है जबकि विगत 3 वर्षो में विपक्षीगण का आवंटन की गई जीमन पर कब्जारहा हो ऐसी कोई कार्यवाही नही हुई है ना ही विपक्षीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश किया है फिर भी विपक्षीगण को अतिक्रमी मानने में भारी भूल की है। यह कि पटवार हल्का की रिपोर्ट अवैध व गलत है तथा राजनैतिक प्रभाव प्रलोभन से कोर्यवाही की गई है जिसकी शिकायत करने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तहसील भदेसर में हुए सभी आवंटन की जांच हेतु कमेटी गठित कर जांच कार्यवाही जारी है। यह कि भू आवंटन सलाहकार समिति की कोई बैठक नही हुई ओर सदस्य उपस्थित नही हुए तथा समिति की राय पूर्ण नही है एवं प्रधान व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है आवन्टन करने से पूर्व सूची सार्वजनिक एवं पंचायत बोर्ड पर चस्पा नही की गई तथा मिली भगत कर अन्दर खाने से चुपके ये अवैध कार्यवाही की गई है। प्रार्थी से कोई आवेदन नही लिया गया एवं भूमि कीमति होने से अवैध लाभ विपक्षीगण को दिया गया। यह कि विपक्षीगण के खातें में काफी भूमि होने से विपक्षी के नेश्नल शेयर से काफी भूमि आने से विपक्षीनम्बर -1 भूमिहीन की पात्रता में नही आता है और आवंटन की पात्रती नही रखता है। यह कि कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन रूल्स 1970 में गलत ढंग से कराये गये आवन्टन को खारिज कराने की कोई मियाद नही होती है। चूंकि यह एक शिकायत है और जांच का विषय होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि आवंटन आदेश दिनांक 25-10-2021 को धोके व षडयन्त्रपूर्वक किया गया है एवं आवन्टन की जानकारी सार्वजनिक नही की गई है। अस कारण प्रार्थी को आवन्टन आदेश की जानकारी नही हई। प्रार्थी को अवैध आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 24.04.2022 को अखबार में सूचना प्रकाशित होने से हुई। उक्त आवंटन आदेश की नकल दरख्वास्त पेश करने पर दिनांक 06-05-2022 को उक्त नकले प्राप्त हुई और नकले प्राप्त होते ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवा में पेश है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को किया गया भू आवन्टन अवैध व नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 12.08.2022 को विपक्षी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये और अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 1 अपने जवाब में अंकित किया कि अधीनस्थ भू आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा विपक्षी सं. 1 को पुराना कब्जा मानते हुऐ मौजा घाटी की आ.सं. 89 रकबा 0.36 है. भूमि का अवैधानिक रूप से आवंटित की गई है, जो पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। कमेटी ने विपक्षी संख्या 1 मौजा पोटलांकलां तहसील भदेसर के निवासी होकर सद्भावी काश्तकार होने से उक्त आराजियात का आवंटन आदेश पारित किया है। विपक्षीगण को भूमि आवंटित की गई है पूर्व से ही विपक्षी संख्या 1 के कब्जे में चली आ रही है, निगराकार का यह कथन कि विपक्षी सं. 1 को जो भूमि आवंटन की गई कई वर्षो से निगराकार के कब्जे में चली आ रही है व निगराकार उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। निगराकार ने निगरानी आवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त भूमि पर निगराकार का कब्जा होकर निगराकार के विरूद्ध अतिक्रमी की कार्यवाही राज्य सरकार के द्वारा की गई हो, विवादित आवंटित भूमि अतिक्रमण के आधार पर आवंटित नहीं की जा सकती है, बिलानाम भूमि का उसी व्यक्ति के पक्ष में आवंटन आदेश पारित किया जा सकता है जो सद्भावी काश्तकार व भूमिहीन की श्रेणी में होकर आवंटन का पात्र हो। विपक्षी सं. 1 सद्भावी काश्तकार व आवंटन के पात्र होने से उक्त भूमि विपक्षीगण को आवंटित की गई है। विपक्षी सं. 1 आवंटी के खाते में नोशनल शेयर के अनुसार भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने आवंटिन नियम 1970 की विधिवत पालना की जाकर नियमानुसार विपक्षीगण को पात्र मानते हुऐ आवंटन आदेश पारित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश यथावत रखा जावे। जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। अधीनस्थ उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर ने अपने पत्रांक 244 दिनांक 13.12.2024 से वांछित अभिलेख जिला कार्यालय को भिजवाया जाना बताया तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 20.11.2025 से वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं होना बताया। प्रकरण पर तहसीलदार, भदेसर से रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर मौजा घाटी की आ.सं. 89 रकबा 0.36 है. भूमि आवंटन किया गया है। विपक्षीगण भूमिहीन सद्भावी काश्तकार नहीं है उपरोक्त आवंटित की गई भमि पर विगत कई वर्षो से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है। अतः आवंटन आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता संख्या 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि विपक्षी भूमिहीन काश्तकार हैं तथा काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। विपक्षी ने विधि पूर्वक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मौजा घाटी की आ.सं. 89 रकबा 0.36 है. कृषि भूमि को आवंटन हेतु प्रार्थना की जिस पर राजस्व विभाग द्वारा सम्पूर्ण जांच कर विपक्षी को आवंटन योग्य कृषक मानते हुऐ भूमि को आवंटित की एवं कब्जे का पर्चा मौका बनाया। इस प्रकार प्रार्थी गलत तथ्यों पर आवंटन निरस्त कराना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच पडताल के उक्त बिलानाम आराजियात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है तो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भूअभि/2026/198 दिनांक 18.02.2026 का अवलोकन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 160/2022 (रा.प्रा.पत्र)
शांतिलाल पिता मांगीलाल गाडरी नि. घाटी बनाम राजेश सुखवाल पिता रतनलाल बाहम्ण नि. पोटला कलां

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :

101 – कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटन –

(1) इस अधिनियम में अन्यत्र अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कृषि प्रयोजनो के लिए भूमि, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से आवंटित की जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा विहित करें।

(2) इस धारा के आीन भूमि के समस्त आवंटन ऐसी दरों पर नियत लगाम के सदस्य के अध्यधीन होगें जो इस विषय पर बनाई गई किसी विधि द्वारा या रूढ़ि के अनुसार या प्रथा द्वारा नियम किये जावें।

(3) ......

(4) यदि एक की भूमि की एक से अधिक व्यक्ति अपेक्षा करते हों, तो आवंटन निम्नलिखित कम से किया जायेगा –

(i) जोत के सहअंशधारियों को, यदि वह एक ही सद्देत खण्ड़ का अंग हों या एक ही स्त्रोत से सिंचित हो, उक्त सहअंशधारियों में अधिमान उसको दिया जायेगा जिसके पास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (सन् 1955 का राजस्थान अधिनियम 3) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित क्षेत्र से कम भूमि हो,

(ii) उस गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को, जहां भूमि स्थित है उक्त व्यक्तियों में अधिमान उनको दिया जोगा जिनके पास कोई भूमि नहीं हो या उक्त नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम हो, और

(iii) लॉटरी निकाल कर

बशर्ते की इस प्रकार आवंटित क्षेत्रफल आर उसके द्वारा धारित क्षेत्रफल मिलकर उक्त कनयमों के विहित क्षेत्र से अधिक नहीं हो।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम 14 (4) में निर्देशित किया हुआ है कि ‘‘जिला कलक्टर को उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त करने का अधिकार होगा। यदि आवंटन हो गया हो तो इस आवंटन को रद्द करने हेतु तहसीलदार या स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवंटन करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन खारिज किया जा सकता है। आवंटन खारिज करने के निम्न आधार है :

1. धोखाधडी करके या गलत बयानी के जरिये आवंटन हासिल किया गया हो।
2. राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन) नियम, 1970 के नियमों के विरूद्ध आवंटन करने पर।
3. आवंटन की शर्तो का उल्लघंन करने पर।

अधीनस्थ तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम घाटी पटवार मण्ड़ल पोटला कलां की आ.सं. 89 रकबा 0.36 है. वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। ग्राम घाटी की आ.सं. 89 रकबा 7.71 है. में कहीं पर भी श्री राजेश पिता रतनलाल ब्राहम्ण का कब्जा नहीं होना पाया गया। ग्राम घाटी की आ.सं. 89

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौके पर पड़त खाली पडी हुई है। आवंटी का आंवटित भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है एवं न ही आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा विपक्षी को मौजा घाटी पटवार मण्ड़ल पोटला कलां की आ.सं. 89 रकबा 0.36 है. भूमि का आवंटन किया गया। कमेटी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन) नियम, 1970 की पूर्ण पालना नहीं की गई एवं आवंटी मौके पर काबिज नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की काश्त की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उनको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि/आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा एवं काश्त नहीं है, रिपोर्ट तहसीलदार, भदेसर अनुसार वर्तमान में भी भूमि पड़त है तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा फसल काश्त नहीं कर रखी है तथा विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे वर्तमान में उक्त भूमि/आराजीयात विपक्षी के खाते में दर्ज नहीं होकर सरकार के खाते में किस्म बिलानाम सरकार दर्ज रेकर्ड है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को मौजा घाटी पटवार मण्ड़ल पोटला कलां की आ.सं. 89 रकबा 0.36 है. हैक्टयर का जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/आवंटन आदेश/2021-22/25 दिनांक 25.10.2021 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चत्तौड़गढ़